

## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

# विश्वविद्यालय विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की गुरूवार, दिनांक 28.05.2015 को समय पूर्वान्ह 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- 01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015 एवं 08.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
- 02. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना। टीप: एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के पूर्ति हेतु बी.एड्. पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के

संबंध में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत टीप निम्नानुसार है :-

बी.एड्.

<b>화</b> .	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			सदस्य	THE THIN GIVE OF
1,	रामचण्डी महाविद्यालय सरायपाली बगाईजोर, सरायपाली, जिला—महासमुंद	बी.एड्.	प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अध्ययनशाला     प्रो. भगवंत सिंह, दर्शन शास्त्र अध्ययनशाला     प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान	रामचंडी महाविद्यालय सरायपाली का निरीक्षण किया गया। NCTE Regulation 2014 के संलग्न परिशिष्ट 4 के अर्हताओं को (बी.एड्. की कक्षाओं को प्रारंभ करने को) पूर्ण करता है। सत्र 2016–17 के लिये सम्बद्ध प्रपत्र संलग्न
2	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पिथौरा (श्रम सृजन समाजसेवी संस्था)	बी.एड्	1. प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शन शास्त्र अ.शा. 3. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान	
3.	विद्यापीठ कालेज, दुर्ग (दाऊ परमानंद अग्रवाल मेमोरियल) लक्ष्मीनारायण महाराज ट्रस्ट किला मंदिर दुर्ग	बी.एड्.	1. प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अध्ययनशाला 2. प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान	The committee Constituted of the following member for the inspection of "Vidyapeeth" College (Dau Parmanand Agrawal Memorial), Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the infrastructure as per the norms and standard laid down by NCTE Regulation 2014, Clause 4, adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in "Vidyapeeth" College, Durg.

_				की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28/05/201
큙.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
4,	छत्तीसगढ़ कालेज ऑफ एजुकेशन, पी.एच. नं.—28, ग्राम—धनोरा, पो.—हनोद, दुर्ग (दुर्ग एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसायटी)	बी.एड्	प्रो. एस.सी. नैथानी, बायोसाइंस अध्ययनशाला     प्रो. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला     प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान	निरोक्षण तिथि:— 25.05.2015  The committee Constituted of the following member for the inspection of Chhattisgarh College of Education, Durg for the approval of NOC for the B.Ed. Course scheduled for the academic session 2016-17, Visited the college on 25-5-15. The members inspected the College and found all the necessary infrastructure as per the NCTE Regulation 2014, Clause 4, Norms and standard adequate and satisfactory. Hence, the committee members unanimously recommend the NOC for B.Ed. course in Chhattisgarh College of Education, Durg.
5.	सेंचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ, जिला-रायपुर	बी.एड्.	1. प्रो. एम.डब्ल्यू. वाय. खान, भू—विज्ञान अध्ययनशाला 2. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 3. डॉ. एम.वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	Century Cement College in run by century Cement Company. It is located in the township of the Company. At present the College conducts PGDCA, BCA, B.Com., M.Com Now, the College has applied to conduct B.Ed. course for which the NOC is sought by the college. The visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited and inspected the College on points of Annexure 4. The college wish to conduct the B.Ed. Course in the same building in which the other course are running. The preliminary observation of the team is that the college has sufficient rooms to conduct the program. For other infrastructure and amenitis, the Secretary of the society has given a declaration of assurance to fulfill the norms of standards of NCTE Regulations 2014.  Based on the declaration, the committee suggest to permit the college to run B.Ed. course of one unit. Hance, NOC may be issued.

큙.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय		निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			सदस्य	5.4580 5000 GF 7500
6.	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेन्सी इन्टरनेशनल कालेज, माना, रायपुर	बी.एड्.		बी.एड्. हेतु भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मात्र जमीन है। जिसमें भवन मार्च 2016 तक निर्माण किये जाने की बात शपथ पत्र में की गयी है। भवन ना होने

- 03. निम्नलिखित 3 महाविद्यालयों द्वारा बी.एड्. के लिए अनापित्ति जारी किये जाने हेतु निरीक्षण संबंधि कार्यवाही नहीं की है —
  - 1. मंगल दुबे मेमोरियल समिति डुंगाजी कालोनी, रायपुर (दि रेडियंट वे कालेज, रायपुर)
  - 2. श्री जैन मण्डल बालोद (महावीर महाविद्यालय डौली रोड, बालोद)
  - 3. श्री अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति रायपुर
- 04. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अंतर्गत एम.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के पूर्ति हेतु एम.एड्. पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत टीप निम्नानुसार है :--

#### एम.एड्.

क्रे.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
			सदस्य	4.11.
1.	एम.जे. कालेज, कोहका—जुनवानी रोड, भिलाई, जिला—दुर्ग	एम.एड्.	1. प्रो. बशीर हसन, संचालक, अध्यापक शिक्षा संस्थान 2. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव वि.वि. प्रबंधन संस्थान 3. डॉ. वाणी सुब्रमण्यन प्राचार्य, भिलाई मैत्री महावि. रिसाली,	With reference to university letter no. 3536/Acad/2015 dated 12-05-2015 the committee inspected the M.J. College on 19-05-2015 and observed the followings:  1. That the B.Ed. Course in the MJ College is continuing since 2006 and it has completed around nine years.  2. That B.Ed. course in this college is functioning in TWO units. List of teachers attached.  3. That College is accredited by NACC in B Grade (2.32) by 7 <sup>th</sup> meeting of standing Committee held on 11 <sup>th</sup> May 2015. (Copy

<b>Æ</b>	1131 Davis 111 311 3111	T-m / 0		का स्थाया सामात का बैठक दिनाक 28/05/20
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
	जी.डी. रूंगटा <b>कालेज</b> ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, जिला–दुर्ग	एम.एड्.	1. प्रो. आर.पी. दास, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, 2. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला, 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	4. That B.Ed. Course in MJ College is affiliated to Pt. Ravishankar Shankar Shukla University since its inspection and at present it fulfils the necessary conditions. (For which principal has submitted an affidavit)  5. That the MJ College fulfils the necessary infrastructure facilities, civic amenities, Labs, Resource centre etc to start M.Ed Programme. However the following deficiencies have yet to be removed:  i. Books and journals as specified by NCTE for M.Ed programme has to be completed. Even though the principal informed that an order to purchase these books and journals has already been placed.  ii. Arrangement of separate cabins for teachers is yet to be made. The principal informed and attached an undertaking that a big hall will be converted into cabins very soon.  In view of the above observations the committee is of the opinion that NOC for the M.Ed. course may be given subject to further Inspection before the affiliation of M.Ed. Programme.  Figure 10. Rungta College is located in Kohka, Durg. The Visiting team constituted by Pt. Ravishankar Shukla University has visited the College and inspected the college for issue of NOC to conduct M.Ed. Program as per the new regulations of NCTE, 2014. The College has sufficent infrastructure to conduct M.Ed. Course. The Library has at promt 5000 books and further subscribed another 1500 books exclusively for M.Ed. subscription bills for National and 3 international iournals were

o shital-08 meeting Standing Commetice-

				की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28/05/201		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप		
			NACA	The College is presently running B.Ed. program which has separate classrooms, a multipurpose hall and other required infrastructure. The multipurpose hall will be shared for both the B.Ed. and M.Ed. Programs. The College has applied for NAAC accreditation and the process in on. Hence there is no grade to mention till date.  NOC may be issued by the University with a condition that the institute get a grade by NAAC before university gives affiliation to start M.Ed. course.		
3.	भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	एम.एड्.	प्रो. एम.डब्ल्यू वाय. खान, भूविज्ञान अध्ययनशाला,     प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला,     उ. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	The committee visited Bhilai Mahavidyalaya on 24.05.2015 and inspected the college for M.Ed. course the College in running B.Ed. Course since 2009-10 session successfully. Facilities for proposed M.Ed. course are as per affidavit (enclosed). The College has sufficient infrastructure to conduct M.Ed. programme, provided college fulfils verdict mentioned in their affidavit. Committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.		
4.	ग्रेसियस कालेज आफ एजुकेशन, अभनपुर, जिला–रायपुर	एम.एड्.	1. प्रो. आर.पी. दास, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, 2. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला, 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	निरीक्षण तिथि :- 26.05.2015		

_			विद्या परिषद्	की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28/05/201
क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	निरीक्षण समिति के सदस्य	निरीक्षण समिति द्वारा टीप
5.	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आमापारा, रायपुर	एम.एड्.	प्रो. एम.डब्ल्यू वाय. खान, मू—विज्ञान अध्ययनशाला,     प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला,     उ. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	The committee inspected the Vipra College in 25-05-2015 for M.Ed. course. The college is running B.Ed. course since 2007 satisfactorily.  The Facilities for proposed M.Ed. are partially available. Based on affidavit given by college Principal, committee recommends for the issue of NOC for M.Ed. course.
6.	कांति दर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, कोसा नगर, भिलाई	एम.एड्.	1. प्रो. आर.पी. दास, वि.वि. प्रबंधन संस्थान, 2. प्रो. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला, 3. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमण्यम, प्राचार्य, भिलाई मैत्री महाविद्यालय, भिलाई	The committee consists of Prof. R.P. Das, Prof. Bhagwant Singh and Dr. M.Vani Subramaniam visited the college for issuing NOC to start M.Ed. Programme as per the New regulations of NCTE 2014.  The college is running B.Ed. course, it is accredited by NAAC & has obtain B Grade.  The college has construction area-5777 Square Mtr.  Number of rooms required for Class Rooms for B.Ed and M.Ed. are existing as per NCTE norms FD worth Rs. 12 lacks are made by the college.  However,  There is no librarian appointed under college code 28.  International Journals don't exist in Library.  Journal purchased invoices were not shown.  Invoices shown for purchase of books were not in the name of Kanti Darshan College.  OHP & PA system were not installed in the seminar Hall but kept in sore room.  Hence the committee recommends - NOC may be issued to the college subject to fulfillment of above deficiencies.

- 05. कांफ्लूएंस कालेज आफ हायर एजुकेशन, राजनांदगांव द्वारा नैक एक्रीडिशन के लिए आवेदन नहीं दिये जाने के कारण एम.एड्. पाठ्यक्रम हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र के संबंध में निरीक्षण करवाने में असमर्थता जाहिर की।
- 06. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.—बी.एड्., बी.एस.सी.—बी.एड्.) प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों के आवेदन के संबंध में विचार करना।
  - 1. ग्रेसियस कालेज, बेलमाटा, अमनपुर, रायपुर
  - 2. शैल देवी महाविद्यालय, अण्डा, दुर्ग
  - 3. सांदिपनी महाविद्यालय, ग्राम-अछोटी, जिला-दुर्ग

टीप : एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम (बीए.—बी.एड्., बी.एस. सी.—बी.एड्.) वर्तमान में विश्वविद्यालय में संचालित नहीं होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2016—17 के लिए जारी किये जाने हेतु शासन उच्च शिक्षा विभाग से दिशा—निर्देश प्राप्त करने हेतु विचारार्थ।

07. अध्यक्ष की अनुमित से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव





# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 🕃 🕃 💪 🗘 अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 22 / 04 /2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायीं समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 16.04.2015 अपरान्ह 4.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

4	H		
1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद		
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	_	सदस्य
		_	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	_	
5.	डॉ. एम.डब्ल्यू वाय. खान		सदस्य
	- + - +		सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	_	सदस्य
7.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव		
8.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	_	सदस्य
		_	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	_	
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव		सदस्य
.0.	गा परपर प्रमापार, कुलसाचव	_	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या—परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय ः विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी सम्बद्धता** दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है —

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विष य	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला— महासमुन्द महाविद्यालय का शासन का आदे दिनांक 13,08,20 महाविद्यालय का	B.Sc. Computer Sc. (पूर्व सीट संख्या — 15) सीट वृद्धि PGDCA (पूर्व सीट संख्या —40) स्थापना वर्ष	05 報记 夏锰 05 報记 夏锰 - 1971- / 2014 / 3	72 81 014	निरीक्षण तिथि :— 12.02.2015 पत्र क्र. 1999 / अका. / 2014 दिनांक 26.11.2014 के अनुक्रम में महाविद्यालय की सीट वृद्धि के लिये सम्बद्धता निरीक्षण दिनांक 12.02.2015 को किया गया और पाया कि :— 1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. वर्तमान में स्ववित्तीय योजना के तहत दो कम्प्यूटर शिक्षक अस्थाई तौर पर कार्यरत है। एक और कम्प्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 26 कम्प्यूटर हैं। छात्रों की संख्या को देखते हुए 10 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता है।	बिंदुओं की पूरि तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धत दिये जाने की



क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विष य	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2,	का नाम नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर, जिला– गरियाबंद महाविद्यालय क शासन का आवे	B.AII - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History  B.ComII (Compulsor y Subject) B.ScII F.C., Chemistry, Maths, Physics	संख्या 60 60 60	2014—15	01.2015 के पारिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर में सत्र 2014—15 के लिए B.AII (60 seat) हिन्दी, अंग्रजी (FC) समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, B.ComII (60 seat) सभी अनिवार्य विषय B.ScII (60 seat) FC रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, सम्बद्धता हेतु दिनांक 22.02.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार तथ्य पाये गये! 1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य	
		योजना / 2013 f			है।  2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है। महाविद्यालय शास. उ.मा.वि. के 10 कमरों में संचालित है, जिसमें 08 कमरों में अध्यापन एवं 01 कमरा में Lab तथा 01 कमरा में प्राचार्य व कार्यालय है।  3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 05 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 05 गैर शैक्षिक में 03 पद में कार्यरत हैं।  4. प्राचार्य के संलग्न पत्र द्वारा ग्रंथागार में सभी विषयों के 692 पुस्तकें हैं। सभी कक्षा एवं विषय के छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।	



5_	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विष य	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप निर्णय
					विज्ञान विषय के प्रायोगिक कार्य के लिए Lab तथा उपकरण है इसे छात्र एवं कक्षा के अनुपात में मंगाय जाने की आवश्यकता है।     अधोसंरचना में स्कूल का फर्नीचर उपलब्ध है। महाविद्यालय में 02 Computer तथा 01 फोटोकापी मशीन है।

- 03. श्री रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : परिनियम 28 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रस्तुत किया जावे।
- 04. शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सत्र 2015—16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट के प्रकरण पर विचार करना।
- निर्णय : शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र परीक्षा सन्त्र 2015—16 के लिए 15 सीट के स्थान पर 2 अतिरिक्त सीट में प्रवेश देने के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय शासन की अनुमित के साथ आवेदन करें।
- 05. एन.सी.टी.ई. विनियम 2014 को अंगीकृत किये जाने के कारण बी.एड्., एम.एड्. एवं बी.पी.एड्. अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : एन.सी.टी.ई. के रेगुलेशन के आधार पर द्विवर्षीय बी.एड्., एम.एड्. एवं बी.पी.एड्. (सेमेस्टर पद्धति) पाठ्यक्रम के लिए निर्मित संशोधित अध्यादेश स्वीकृति हेतु समन्वय समिति भेजने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 06. विधि अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रस्तुत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : विधि अध्यादेश में संशोधन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- 07. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के अध्यादेश क्रमांक 88 के संशोधन के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : एम.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 88 में प्रस्तावित अध्यादेश संशोधन का अनुमोदन किया गया।



08. श्री सांई कालेज, प्लॉट नंबर—286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)—490096 को सत्र 2015—16 से बी.एड् एक यूनिट—50 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

09. इंडियन कालेज ऑफ एजुकेशन, स्टेशन रोड महासमुंद को एन.सी.टी.ई. भोपाल द्वारा जारी Order for shifting of premises का पत्र क्र. WRC/QPW04626/723112 (shifting for premises)/215<sup>th</sup>/2015/131872 Date 24/26-02-2015 पर विचार करना।

विर्णय : एन.सी.टी.ई के रेगुलेशन के अनुसार पुनः निरीक्षण किया जावे।

10. शासकीय दू.ब. महिला रनातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management प्रारंभ करने की अनुमति पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर में Community College प्रोग्राम के अंतर्गत Diploma in Hospitality Management सत्र 2015—16 से प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

11. सेंट सुगनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में संचालित बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.एड्. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

12. एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट, भिलाई में बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की संचालन बंद करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

विर्णय : महाविद्यालय द्वारा समस्त देनदारियों की जिम्मेदारी लेने के शर्त पर बी.सी.ए. एव बी.बी.ए. पाठ्यक्रम बंद करने की अनुशंसा की गई।

13. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर को शासन द्वारा 2011—12 से 2014—15 के मध्य स्वीकृत की गई सीट वृद्धि पर विचार करना।

निर्णय : आगामी एक वर्ष के भीतर भौतिक शास्त्र विषय में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आधार पर शासन द्वारा पूर्व में 2011–12 से 2014–15 के मध्य स्वीकृत निम्नानुसार सीट वृद्धि के लिए अनुशंसा की जाती है –

कक्षा	पूर्व में अनुमोदित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट
बी.काम. अनिवार्य विषय	60	60	120
बी.काम. कम्प्यूटर एप्लिकेशन	60	30	90
पी.जी.डी.सी.ए.	60	30	90



14. एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन के कंडिका 3 के अनुसार अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में विद्यार करना।

विर्णय : एन.सी.टी.ई. के आदेशानुसार किसी भी शिक्षा महाविद्यालय/संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम नया विषय/सीट वृद्धि/पाठ्यक्रम बंद करने के लिये विश्वविद्यालय के निरीक्षण के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाएगी, इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के निरीक्षण हेतु संबंधित संस्थान/महाविद्यालय को प्रोसेसिंग फीस के रूप में रु. 10,000/— (दस हजार रुपए मात्र) विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

15. (A) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक / एम.एड. / मान्यता / 2012 / 5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार 31 जनवरी 2013 तक सभी एम.एड्. महाविद्यालय को NAAC प्रत्यायन की अनिवार्यता की जानकारी।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड्. संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की जानकारी हेतु।

निर्णय : प्रस्तुत सूची में (A) एवं (B) के अंतर्गत् वर्गीकृत महाविद्यालयों में वर्तमान व्यवस्था एवं एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड पूरा करने के संबंध में एन.सी.टी.ई., एस.सी.ई.आर.टी. एवं महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

16. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने मापदण्ड विषयक।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शो.ध/2015 दिनांक 16.02.2015 के बिंदु क्र. 5 पर "अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची, जिसे इस विश्वविद्यालय में स्तरीय शोध पत्र की सूची में शामिल किया जाना हो," सूची अध्यक्ष अध्ययन मण्डल से प्राप्त कर संकायाध्यक्ष को अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जावे। संकायाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित सूची के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

17. सत्र 2014—15 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	अग्रसेन महाविद्यालय, धनोरा, जिला-दुर्ग
2	
3	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा, जिला-राजनांदगांव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट के पीछे. कम्हारी, जिला-दर्ग
5	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला—दुर्ग (2013—14 एवं 2014—15)
6	श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-धनेली, पोमाना, रायपुर
7	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला-रायपुर (2013–14 एवं 2014–15)

निर्णय : पुनः परीक्षण किया जावे।



### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय:-

अधिसूचना क्रमांक 2785/अका./शोध/2015 दिनांक 16.02.2015 के पूर्व जमा की गई शोध प्रबंध के संदर्भ में DRC से अनुशंसित प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकाशित शोध-प्रत्र को मान्य करते हुए शोध-प्रबंध के मूल्यांकन की कार्यवाही की जाए।

पुराना अध्यादेश 45 पर यह लागू नहीं रहेगा। अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

पृ. क. 3361 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015 प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांकः 22/04/2015

- समस्त संकायाध्यक्षों को,
- ज.कु.स. गोपनीय / परीक्षा, 2.
- वित्तं नियंत्रक / अंकेक्षण, 3.
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ 4. एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

6

N. Ed

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र कमांक / एम.एड. / मान्यता / 2012 / 5746 रायपुर, दिनांक 11.12.2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों को सूचना दी गई थी:—

- प्राचार्य,
   इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- प्राचार्य, धनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)
- प्राचार्य,
   अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने,
   अंजोरा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
- प्राचार्य,
   प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू,
   चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
- प्राचार्य,
   शास. शिक्षा महाविद्यालय,
   शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- प्राचार्य,
   पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय,
   शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
- प्राचार्य, रूगटा कॉलेज ऑफ सांइस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)
- प्राचार्य,
   शिवा कॉलेज,
   मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

राज्य शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर के पत्र कमांक / एम.एड. / मान्यता / 2012 / 5746 रायपुर , दिनांक 11.12.2012 के अनुसार "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और कियाविधि) विनियम 2009 के विनियम 8(5) के अनुसार—शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थाओं को 01 अप्रैल 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थाओं को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शिक्षणिक सत्र 2012—13 से समाप्त समझ ली जाएगी।"

इसके पश्चात् NCTE की वार्षिक कार्यसमिति की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2012 में जिन संस्थाओं ने NAAC में प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर लिया है उन संस्थाओं की एम.एड. की मान्यता अभी समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया है। अर्थात् यदि आपकी सस्था को NAAC से प्रत्यायन प्राप्त नहीं है या इसके हेतु आवेदन नहीं किया है तो NCTE आप के संस्था में संचालित एम.एड. पाठ्यकम की मान्यता समाप्त कर सकती है। उपरोक्त प्रावधान NCTE द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए बनाये गए है।

अतः यदि आपकी संस्था के द्वारा इस दिशा में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है तो NAAC बैंगलूरू प्रत्यायन के लिए 31 जनवरी 2013 के पहले आवेदन कर इसकी जानकारी परिषद् को देंगे।

तत्सम्बंध में विदित हो कि— पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यकम संचालित महाविद्यालयों में NAAC प्रत्यायन की जानकारी निम्नलिखित हैं:—

क्र.	महाविद्यालय का नाम	CGPA	ग्रेड	रिमार्क
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	2.62	В	-
2	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, ग्राम—जुनवानी, भिलाई नगर, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	2.59	В	
3.	कृल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-07, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.87	В	
4.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुड़को, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	2.7	В	
5	भिलाई मैत्री कॉलेज, रिसाली सेक्ट, भिलाई, जि–दुर्ग (छ.ग.)	2.79	В	
6,	भारती इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. मुक्ता नगर, पुलगाँव नाका बाई पास रोड दुर्ग (छ.ग.)	1.85	С	
7,	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कॉलेज के सामने, अंजोरा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	2.15	В	
8.	शिवा कॉलेज, मैत्री नगर, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	2.33	В	
9.	घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2.45	В	
10.	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	प्रकियाधीन	-	LOI 21.09.2013 भेज
11.	रूंगटा कॉलेज ऑफ सांइस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.)	=		LOI 15.04.2015 भेजा।
12.	मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड़ कुरूद, भिलाई जिलादुर्ग (छ.ग.)	-	-	LOI 21.03.2015 भेजा।
13.	प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	-		LOI 30.01.2013 भेजा।
14.	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	-	-	

#### टीप:--

- 1. रूंगटा कॉलेज ऑफ सांइस एण्ड टेक्नालॉजी, जी.ई. रोड़, गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) ने नेक प्रत्यायन के लिए LOI 15.04.2015 भेजा है।
- 2. मनसा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड एजुकेशन कोहका रोड कुरूद, मिलाई जिला—दुर्ग (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.03.2015 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
- 3. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 21.09.2013 भेजा है। महाविद्यालय की नैक प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही नैक प्रत्यायन टीम का निरीक्षण हेतु आने की संभावना है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW03620/725006/NAAC/2013/110264 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recognized institution of M.Ed. Course"
- 4. प्रगति कॉलेज, सेन्ट्रल एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के पत्रानुसार उसने नैक प्रत्यायन के लिए LOI 30.01.2013 भेजा है। NCTE भोपाल के पत्र क्रमांक WRC/APW04590/725012/NAAC/2013/10274-75 दिनांक 18.11.2013 के अनुसार "Since your institution does not fulfill the provisions as laid down in the Clause 8(5) of NCTE Regulations, 2009, the name of your institution no more figures in the list of recongised institution of M.Ed. Course"

तत्पश्चात् महाविद्यालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(C) No. 1354 of 2014 द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"Considering the submission of learned counsel for the parties it would be proper to hear the matter at an early date and considering that 15th of August is the last date of admission, it would be open for the petitioner, on its own peril, admit the students provisionally."



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र.	35/2	/ अका. / वि.प. स्थायी	समिति / 2015
------	------	-----------------------	--------------

रायपुर, दिनांकः 11/05/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक शुक्रवार, दिनांक 08.05.2015 अपरान्ह 4.30 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	_	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	_	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	_	सदस्य
4.	डॉ. एम,डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
5_	डॉ. सी.डी. अगासे		सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	<u></u>	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	_	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	_	सदस्य
9. 10.	श्री के के. चंद्राकर, कुलसचिव	_	सचिव
10.	डॉ. ए.के. पति	<u></u>	विशेष आमंत्रित सदस्य

### बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन क्र. 134 में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के API Score Calculator में रेगुलेशन 2009 <u>के स्थान</u>
<u>पर</u> भारत शासन के राजपत्र दिनांक 13 जून 2013 में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग, रेगुलेशन 2013 को अंगीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई।

02. रेगुलेशन 149—I एम.एस—सी. कम्प्यूटर साइंस के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : रेगुलेशन 149-1 एम.एस-सी. कम्प्यूटर साइंस(Inclusion of Grade and credit points (CGPA) in marksheet of the students of PG courses under the Ordinance 149-) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

-कुलंपति

अध्यक्ष

कुलसचिव

सचिव

पृ. क्र. 3513 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015 प्रतिलिपि :--

रायपुर, दिनांकः 11 /05/2015

- 1 समस्त संकायाध्यक्षों को,
- 2 जुकुस् गोपनीय / परीक्षा,
- 3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
- कुलपित के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रिवशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अकार)

No Objection Certificate

Such affiliation will ensure adoption of the Programme-Curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations and award of Degrees. The University/SCERT will also participate in the faculty recruitment process and certify the approved faculty list

As the Affiliating Body, the University/SCERT will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the Norms and Standards prescribed by NCTE and observance of our conditions of affiliation.

Registrar/Director Signature: Name Seal:

Date

#### NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION WESTERN REGIONAL COMMITTEE BHOPAL (April 26, 2015)

Minutes of The Round Table Meet held at Hotel Sarthak, Bhopal on 26.04.2015 on issue of Ne Objection Certificate by the Affiliating Bodies

The National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 were notified vide dt. 28.11.2014 inter-alia having a new change of No Objection Certificate by the Affiliating Bodies at the time of making an application. The NCTE has invited applications from the applicant institutions from the 1st March, 2015 to 31.05.2015. A Round Table Meet was organized by NCTE in Bhopal on 26.04.2015 for Education Secretaries and Vice Chancellors (or their representatives) and Directors of SCERTs of States of Chhatisgarh, Gujarat, Goa, Lakshyadeep, MP & Daman & Diu to appraise them and to impress upon them about the requirement and facilitate the issue of NOC by affilia ing bodies. The list of the participants is at Annexure-A.

The Chairperson. WRC appraised the participants about the newly created provision of NOC in the Regulation 2014 and clarified certain issued on Regulation 2014. Before that Dr. S.K. Chauhan, NCTE Hors, and Shri Sunil Shrivastava, RD WRC welcomed the participants and gave background of NCTE Regulation, 2014 and its various provisions made thereunder. The meeting was exclusively related to issue of No Objection Certificate by the Affiliating Bodies. In this regard the following points were discussed and agreed during the course of discussion:

- Affiliating bodies will issue "No Objection Certificate" to the applicant institutions on receipt of their proposals applications of the appraisal of the need for establishing new TEIs or additional programmes or intakes.
- 2. State Governments wherever necessary will give their concurrence to the affiliating bodies to issue NOC.
- 3. NOC could be on the basis of demand and supply and geographical location of existing institutions in concerned State.
- 4. The Affiliating Bodies may should issue NOCs after examining their capacity to accord affiliation.
- The Affiliating bodies will be provided with certain guidelines facilitating them as to what they will examine and on the basis of that they will issue NOC. The guidelines will be emailed to all concerned latest by 28.04.2015 by NCTE.
- The affiliating bodies may consider any other issue which they deem fit for consideration before issuing NOC.
- 7. It was made clear to the participants that the enabling provision of NOC before submission of application is for more empowering the affiliating bodies and it is different from the NOC of the State Govt, as also from the affiliation which is granted by affiliating bodies after grant of recognition by NCTE. The Regulation 2014 made it mandatory to involve affiliating bodies before application is actually submitted by an applicant institution.
- 8. A timeline has been set in the NCTE Regulation which may be taken care enabling applicants to submit online application latest by 31st May, 2015. In other words, the NOC by the affiliating bodies is to be issued on or before this date.
- NCTE shall further write to Education Secretaries, Vice Chancellors and Directors SCERTs clarifying the issue and reminder the deacline of May end 2015.

Certain issues were also discussed which are as follows:

Some of the State Governments have reservations about their problem regarding non-communication of policy decision to the NCTE with respect to the ban in the State for certain teacher education programmes. A question was raised as to whether NCTE will process such application, if received. It was clarified that the NCTE Regulation has inbuilt provision for seeking comments of State Government in the form of NOC. If an applicant institution submits its application, this will be examined and comments.

of the State Government will invariably be sought and the State Government has all rights to recommend and not to recommend for grant of recognition.

- 2. Certain print errors in Regulations, 2014 were pointed out which were noted by NCTE officers to make corrections therein specially the multipurpose hall size is mentioned 2000 Sq. Mus. which will be corrected as 2000 Sq. ft. and admission criteria of D.El.Ed. ODL mode which needs more clarification.
- 3. Whenever the communication regarding ban of teacher education program he could not be received, the NCTE is not in position to take its stand back at this stage, however, the State Governments may take a decision when their commerts are sought.
- 4. The issue regarding manner of NOC was also discussed. It was clarified to them that the affiliating body in whatever manner may issue the NOC (in the form of LOI / communication / recommendation / letter) NCTE will accept it.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

## NOC Meet, Bhopal The list of participants

No.	Name	Designation	Address	E-mail id
-01	Dr. B.V. Ramana	Asa Prof	IASE Bilaspur	raobayramana/ii. yahoo, com
02	Dr. Vishal O Banne	Asst. Prof	RDVV Jabalpur	vishalbanne.rdq.a/gmail.com Mo. 9425866200
03	Dr. Y.K. Singh	Associate Prof.	MGCGVV Saina	yksingh1-a rediffmaii.com
04	Pro . Sanjeev Sonawane	Prof. Head. Dean	Savitribai University Pune	<u>sonsanjeev63 a gmail.com</u> 09890178190
05	Pro l. R.L. Godara	VC	HNGU Patan University campus Guiarat	<u>Verangular in</u>
06	Shr Sha lendra Kumar Jain	Dy. Registrar	Jiwaji University. Gwalior	<u>skjajindrbu a gmail,com</u>
07	Prof. Ashok Kumar Shurma	Dean	Jiwaji University Gwalior	sharmuakjug a gmail.com
()8	Dr. Hemant Kadam	HCD	BU Bhopal	hemanikudam ili yahoo.com 09993743127
09	Prof. S.K. Pandey	VC	Pandit Ravishanker University Rainur	proskp a gmail.com ye. raipur a prsu.org.in
10	Shri Yashwant Singh	Acting Registrar	BU Bhopal	yashwantsinghpatel a yahoo,com
11	Prof. P.N. Shasiny	Principal	Rasairya Sansan. Bhawan	rsks bhopal@yahoo.com
12	Prof. R.K. Namdeo	DCDC	Dr. H.S. University, Gour, Sagar	rknmath_sgr@-yahoo.com
13	Dr. Tanish Govind	DR	Dr. C.V. Raman University, Bilaspur	mynishgovind/a valvoc.com
14	Dr. Vijay Singh	Rogistra	AISECT University, Bhopal	registrar a discumiversity ac in
5	Shri Ashutosh Dubey	Lect.	M.P. Board of SS Bhopal	dubevashutosh65/a gmail.com
6	Shri Pradeep Sarkwar	EO	M.P. Board of Sec. Education, Bhopal	pksukwar1234@gmail.com
7	Dr. Kanchan Jigyasi	1/e Jept, Edn,	Bhoj University, Bhopal	Jigyusikanchana/a gmail.com
8	Dr. Saleha Siddiqui	Den. of Multionedg in Education ICI D.Ed.	E-6/8B Char Imli, Bhopal	drsalchasiddjqui a email.com
9	Dr. O.P. Sharma	Add. Director. R.S.K. MP Bhopal	03 Sikshak Colony R.S.K., Bhopal	drop.sharma@yuhoo.in
)	Shri A.K. Dannyak	RS C. MP Bhopal	Rajyas Shiksha Kendra, Bhopal	danoyak_atul a yahoo.com
	Prof. Jay Prakesh Pandya	Principal	University Vidyapith. Ahmedabad	Jp_megh'a yahoo.com 9427072497
2	Sm., Mala Srivastova	Chairperson NCTE-WRC	E7/845, Arera Colony, Bhopal	tgarha hotmail.com
	Shri Sunit Shrivastava	RD, NCTE-WRC	Bhopal	
	Dr. S.K. Chauhan	Research Officer	NCTE, New Delhi	shrikantchauhan44 ir gmail.com
	Dr. N.C. Gautam	VC	Chitrakut	gautakve à vahoo, com
	Shri Vivek Singh	Legal Consultant	NCTE- WRC. Bhopal	